पटना में दिनांक–17 अप्रील, 2013 बुधवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

कृषि विभाग

1. वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य किसान आयोग को सहायक अनुदान मद में 100.00 लाख रू० (एक करोड़ रूपये) की स्वीकृति तथा किसान आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों को प्रतिमाह देय नियत वेतन 25,000 रूपये से बढ़ाकर 70,000 रूपये प्रतिमाह करने एवं बढ़े हुए दर पर नियत वेतन भुगतान दिनांक–01.04.2013 से अनुमान्य करने की स्वीकृति।

1. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

2. बक्सर जिलान्तर्गत डुमरॉव अंचल के मौजा–भीखा बॉध एवं डुमरॉव, थाना नं०–क्रमशः 194 एवं 168, खाता सं० क्रमशः 11 एवं 381 के विभिन्न खेसरों की कुल 100.00 (एक सौ) एकड़ हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमरॉव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार की भूमि कृषि महाविद्यालय, डुमरॉव के भवन निर्माण हेतु कृषि विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में।

2. स्वीकृत।

वित्त विभाग

3. उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में कार्यपालक अभियंता कनीय प्रशासनिक स्तर का वेतन–संरचना को संशोधित करने के संबंध में।

3. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. बिहार वित्त सेवा गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड, पटना (Bihar Finance Service Housing Construction Co-operative Society Limited, Patna) को पटना जिला के अंचल–पटना सदर के मौजा–धीराचक, थाना सं०–16 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल 11.86 एकड़ (सूची संलग्न, परिशिष्ट–I एवं नक्शा, परिशिष्ट–II) भवन निर्माण विभाग के स्वामित्व की भूमि, राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय परिपत्र संख्या–8/खा० म०प०–109 /81–38 रा०, दिनांक– 08.01.82 (परिशिष्ट–III) की कंडिका–3 (1) एवं 3 (6) को शिथिल करते हुए 1000.00 (एक हजार) रूपया टोकन सलामी एवं 25.00 (पच्चीस) रूपया प्रति एकड़ टोकन वार्षिक लगान के भुगतान पर बिहार खास महाल नीति, 2011 के नियमों के अनुसार नवीकरण विकल्प के साथ 30 वर्षीय लीज पर बंदोबस्त करने के संबंध में।

4. महाअधिवक्ता का मनतव्य एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखनेवाले वरीय अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी का पत्र भी संलेख का अनुलग्नक बनाने के निर्णय के साथ स्वीकृत।